राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 129

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 17 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

अयोध्या मामले में दलीलें दर्ज, सुनवाई खत्म, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम मामला ▸ संविधान पीठ ने पक्षकारों को वैकल्पिक मांग पर तीन दिन में लिखित दलीलें दाखिल करने की दी छूट

पीठ की अध्यक्षता कर रहे सीजेआइ रंजन गोगोई 17 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्ति, इससे पहले आएगा फैसला

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमे की 40 दिन तक रोजाना चली सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई। शाम चार बजे तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने पक्षकारों को वैकल्पिक मांगों के मुद्दे पर तीन दिन के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी है। मामले में नवंबर के मध्य तक फैसला आने की उम्मीद है क्योंकि सुनवाई कर रही संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं। ऐसे में फैसला उससे पहले आएगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 के फैसले में विवादित भूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को सभी पक्षों ने क्रॉस अपील दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 14 अपीलें लंबित हैं जिनमें रामलला विराजमान की अपील को मिलाकर हिंदू पक्ष की छह और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिलाकर मुस्लिम पक्ष की आठ अपीलें हैं। इस मामले में कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिये मामले का हल निकालने की कोशिशें नाकाम होने के बाद छह अगस्त को नियमित सुनवाई शुरू की थी, जो 40 दिन तक लगातार चली। इस बीच मामले में कई उतार-चढ़ाव आए। कई बार पक्षकारों के वकीलों के बीच गरमागरमी हुई तो कभी पीठ ने वकीलों की बहस के रवैये पर एतराज जताया। इस मुकदमे में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि राम जन्मभूमि में विवादित भूमि पर मालिकाना हक किसका है। हिंदू इसे भगवान राम का जन्मस्थान बताते हुए उस पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं जबकि मुस्लिम पक्ष वहां मस्जिद मानते हुए स्वयं को मालिक घोषित करने की मांग कर रहा है।

नई दिल्ली में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद अयोध्या वार्ता समिति के अध्यक्ष मौलाना सुहैब कासमी के साथ महंत धर्मदास। एएनआइ

अयोध्या की पुकार

सुनवाई के 40 दिन पूरे

दूसरी सबसे लंबी सुनवाई

राम जन्मभूमि विवाद के मुकदमे की सुनवाई कई मामलों में अलग रही। यह अब तक सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले में चलने वाली दूसरी सबसे लंबी सुनवाई है। सबसे ज्यादा 68 दिन की सुनवाई केशवानंद भारती मामले में चली थी। आधार की वैधानिकता में निजता के अधिकार पर 38 दिन सुनवाई हुई थी। इसके अलावा यह पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सप्ताह में पांचों दिन सुनवाई की। इससे पहले संविधान पीठ नियमित सुनवाई के लिए तय मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ही सुनवाई करती थी। सोमवार और शुक्रवार के दिन मिसलेनियस डे कहे जाते हैं। इन दोनों दिनों में नए मुकदमों पर सुनवाई होती है। इतना ही नहीं, तय समय में सुनवाई पूरी करने के लिए कोर्ट ने रोजाना एक घंटा ज्यादा भी सुनवाई की। इस मामले में रोजाना शाम पांच बजे तक सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए पहले 18 अक्टूबर तक की समयसीमा तय की थी, जिसे बाद में घटाकर 17 अक्टूबर कर दिया था। हालांकि उससे भी एक दिन पहले यानी 16 अक्टूबर को ही सुनवाई पूरी कर ली गई।

उप्र में सरकारी कर्मियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर फील्ड (क्षेत्र) में तैनात सभी अफसरों और कर्मचारियों की 30 नवंबर तक छुट्टियां रद कर दी हैं। बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में तैनात किसी भी अधिकारी को 30 नवंबर तक अत्यधिक अपरिहार्य हालात को छोड़कर अवकाश न दिया जाए। (पेज-5)

मुस्लिम पक्ष के वकील ने अदालत में फाड़ा नक्शा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अंतिम दिन विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव धवन ने संविधान पीठ के समक्ष भगवान राम का सही जन्मस्थल दर्शाने वाला कथित सचित्र नक्शा फाड़ दिया। कोर्ट में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक गुट की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह ने ध्वस्त ढांचे के मध्य गुंबद को ही जन्मस्थान होने का दावा करते हुए कई दस्तावेज और एक नक्शा पेश किया था। (पेज-5)

सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावा छोड़ने की चर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एक अहम घटनाक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन पर दावा छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी और कुछ हिंदू पक्षकारों के बीच समझौता हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने ऐसी जानकारी होने से इन्कार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल गठित किया था। मुख्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुकदमे के दो पक्षकारों उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी और निर्वाणी अखाड़ा की ओर से मध्यस्थता पैनल को चिट्ठी भेजकर पुनः मध्यस्थता शुरू करने का अनुरोध किया गया था। पैनल ने कोर्ट को इस बात से अवगत कराते हुए निर्देश मांगा था। कोर्ट ने उसी वक्त साफ किया था कि मामले में चल रही सुनवाई नहीं रुकेगी, पक्षकार चाहें तो समझौते की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। पक्षकार मध्यस्थता पैनल की भी मदद ले सकते हैं। यदि समझौता होता है तो उसे कोर्ट को सौंपें।

बुधवार को मध्यस्थता पैनल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी गई। सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट के साथ कुछ पक्षकारों के बीच हुए समझौते को भी कोर्ट को सौंपा गया है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के कुछ शर्तों के साथ दावा छोड़ने की चर्चा है। यह भी कहा जा रहा है कि उसमें 1991 के पूजा स्थल कानून का पालन कराए जाने की भी बात है। यानी ऐसे स्थलों को लेकर वह आश्वासन चाहते हैं जहां विवाद है। हालांकि मध्यस्थता प्रक्रिया गोपनीय होने के कारण उसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं हो पाई है।

इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील शकील अहमद ने इस बारे में कोई भी जानकारी होने से इन्कार किया। उनका यह भी कहना है कि यह मुकदमा प्रतिनिधि सूट है, ऐसे में कोई एक व्यक्ति या कुछ पक्षकार समझौता नहीं कर सकते। वैसे भी मुस्लिमों की ओर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अलावा सात अन्य पक्षकार हैं। इस सारी चर्चा के बीच अगर तय कानून को देखा जाए तो यह मुकदमा हिंदू-मुसलमानों के बीच प्रतिनिधि वाद है। अगर सिर्फ कुछ लोग समझौता करते हैं, तो दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मुताबिक कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता लागू नहीं हो सकता। कोर्ट ऐसे मामले में कुछ लोगों की ओर से समझौता किए जाने पर बाकी सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी राय भी पूछता है। इस मुकदमे में एक और नई घटना है, जिसमें मुकदमा सुनने वाले पांचों न्यायाधीश गुरुवार को कोर्ट में नहीं अपने चैंबर में बैठेंगे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि पांचों न्यायाधीश मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर चर्चा करके आगे की कार्यवाही तय कर सकते हैं।

अयोध्या की पुकार (विशेष) पेज>>5

सरोकार

एचआइवी पीड़ित 113 महिलाएं बनीं स्वस्थ बच्चों की मां

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर जिले में एचआइवी संक्रमित 113 महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि सभी गर्भवतियों ने एचआइवी टेस्ट कराया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही इलाज शुरू होने से गर्भस्थ शिशु पर बीमारी का असर नहीं पड़ा। (पेज-10)

जागरण विशेष

'आइंस्टीन' वाली बीमारी से ग्रस्त हैं ये बच्चे...

कानपुर : बच्चे की लिखावट गंदी है, पढ़ाई से जी चुरा रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसे कामचोर कहें। बच्चे को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट 'आइंस्टीन' की बीमारी यानी डिस्लेक्सिया हो सकती है। कानपुर के तीन बड़े और नामी स्कूलों में 62 छात्रों पर अध्ययन किया गया, जिसमें 61 डिस्लेक्सिया से ग्रस्त मिले। (पेज-10)

कांग्रेस-राकांपा राष्ट्रहित के विरुद्ध : मोदी

जालना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के जालना और अकोला की चुनावी रैलियों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा, दोनों दल हमेशा राष्ट्रहित के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस को राष्ट्रवाद एक परिवार की भक्ति में दिखता है। उन्होंने दावा किया कि यह विपक्षी दल अंतिम सांसें ले रहा है। (पेज-4)

पाकिस्तान को काली सूची में डालने पर फैसला कल

- आतंकी फंडिंग रोकने वाली एजेंसी एफएटीएफ की पेरिस में बैठक शुरू
- फिलहाल पाकिस्तान के ग्रे सूची में ही बने रहने के मिल रहे संकेत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दुनिया भर में आतंकी संगठनों को पनाह देने के लिए कुख्यात पाकिस्तान फिलहाल आतंकी फंडिंग रोकने के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की मजबूत फांस से बचता दिख रहा है। पेरिस मुख्यालय स्थित एफएटीएफ की बैठक बुधवार को शुरू हुई और पाकिस्तान पर फैसला शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को आएगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान को जून, 2020 तक ग्रे लिस्ट यानी निगरानी वाले राष्ट्रों की सूची में ही बनाए रखा जाएगा। हालांकि, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसे फरवरी, 2020 तक ही ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है। पाक को पिछले साल जून में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उसे अक्टूबर, 2019 तक आतंकी फंडिंग रोकने के लिए कुछ ठोस उपाय करने का टास्क दिया गया था। एफएटीएफ की बैठक में भारत का भी दल हिस्सा ले रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान की तरफ से पिछले एक वर्ष के भीतर आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के वित्त पोषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा शुक्रवार को होगी और उसी दिन फैसला भी आएगा। हालांकि, एफएटीएफ की क्षेत्रीय इकाई एशिया प्रशांत समूह (एपीजी) ने इसी साल अगस्त में प्रस्तुत अपनी समीक्षा रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान आतंकी फंडिंग रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं वे काफी अपर्याप्त हैं।

पाक को बचाएगा उसका सदाबहार मित्र चीन : एफएटीएफ के तीन महत्वपूर्ण सदस्य चीन, तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही एफएटीएफ के नए अध्यक्ष शियांगमिन लिउ भी चीन के हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों जब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बीजिंग की यात्रा पर गए थे तब उन्होंने सबसे ज्यादा एफएटीएफ के प्रतिबंध से बचाने की ही गुहार लगाई थी।

अमेरिका भी सख्त पाबंदी के पक्ष में नहीं : साथ ही अमेरिका समेत कुछ अन्य देश भी कई वजहों से नहीं चाहते कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगे। पाकिस्तान को एफएटीएफ की काली सूची में डाले जाने का मतलब होगा कि उसकी अर्थव्यवस्था और बदहाल हो जाएगी। इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है और आतंकी संगठनों की जड़ें भी मजबूत हो सकती हैं।

कई देशों ने भारत से की बात : सूत्रों के मुताबिक अमेरिका समेत कुछ देशों ने काली सूची में डाले जाने से पाकिस्तान में बढ़ने वाली अस्थिरता को लेकर भारत से भी बात की है। भारत को यह बताया गया है कि उसके हितों के लिए भी यह अच्छा है कि पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट में घिरने के बजाए आतंकी संगठनों का सफाया करे। ऐसे में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखते हुए उसे एक वर्ष का और वक्त देने की संभावना ज्यादा है।

भारत के खिलाफ आग उगते रहे हैं इमरान : सत्ता में आने के बाद से ही इमरान खान आरोप लगाते रहे हैं कि भारत उनके देश को एफएटीएफ से प्रतिबंधित कराने में जुटा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। काली सूची से बचने के लिए इमरान सरकार ने हाल के दिनों में कुछ कार्रवाई भी की है। मसलन, तीन आतंकियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इमरान खान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन जुटाने में लगे हैं। सत्ता में आने के बाद वह तीन बार चीन और दो बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं। बहरहाल, अगर पाक को जून, 2020 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखा जाता है तो उसे कुछ माह के लिए राहत तो मिल जाएगी, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं होगी कि उस पर प्रतिबंधित होने की तलवार हमेशा के लिए हट गई है। पाकिस्तान सरकार को हर तीन माह पर आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देनी पड़ सकती है ताकि एफएटीएफ उसकी लगातार निगरानी कर सके।

आइआइआइटी को दोहरे डिग्री कोर्स शुरू करने की मिली मंजूरी

नई दिल्ली : आखिरकार आइआइटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) की तर्ज अब आइआइआइटी (भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) भी दोहरे डिग्री कोर्स शुरू कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता वाली आइआइआइटी काउंसिल ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही आइआइआइटी में पढ़ने वाला कोई भी छात्र अब पांच वर्षों में ही बीटेक के साथ एमटेक या एमबीए की भी डिग्री ले सकेगा। आइआइआइटी में दोहरे डिग्री कोर्स शुरू करने की जानकारी बुधवार को ही 'दैनिक जागरण' ने दी थी। इस कोर्स को ड्यूअल एमटेक और ड्यूअल एमबीए नाम दिया गया है। मौजूदा समय में ऐसे दोहरे कोर्स सिर्फ बांबे, दिल्ली, मद्रास जैसे कुछ चुनिंदा आइआइटी में चल रहे हैं। (पेज-3)

अब ईडी ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया

- विशेष कोर्ट में आज पेश होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज ही खत्म हो रही है भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत
- गिरफ्तारी से पहले तिहाड़ जेल में जांच एजेंसी ने की दो घंटे तक पूछताछ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तिहाड़ जेल जाकर मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआइ की हिरासत में रहने के बाद चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी अवधि गुरुवार को खत्म हो रही है।

गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही बुधवार को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के सामने अर्जी दायर कर 14 दिनों की हिरासत की मांग की। ईडी मामले में चिदंबरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार को अर्जी पर विचार करेगा। इसी दिन सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से गुरुवार को दोपहर बाद तीन बजे पेश करने का निर्देश दिया।

तीन सदस्यीय जांच टीम सुबह 8:15 बजे जेल पहुंची और करीब दो घंटे तक पूछताछ करने के बाद चिदंबरम को मनी लांड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया। ईडी इस मामले में कांग्रेस नेता से कई बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कोर्ट से रोक के कारण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था।

माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच अधिकारी चिदंबरम से उनके परिवार से जुड़ी कुछ विदेशी संपत्तियों खासकर बेटे कार्ति के नाम वाली संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेंगे। ईडी ने अक्टूबर 2018 में भारत, ब्रिटेन व स्पेन में कार्ति की 54 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी।

यह है मामला : आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल में 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने पीएमएलए के तहत एफआइपीबी की मंजूरी देने में अनियमितताओं की जांच के लिए केस दर्ज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच सितंबर को चिदंबरम को जेल भेज दिया था। चिदंबरम 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। बीते शुक्रवार को ईडी ने अर्जी दायर कर चिदंबरम को पेश करने की मांग की थी।

जेल में मुलाकात करने पहुंचे कार्ति पेज>>3

अनंतनाग में हिज्ब-लश्कर के तीन आतंकी ढेर

- सुरक्षाबलों को मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला
- दक्षिण कश्मीर में आठ दिन में दूसरी बड़ी मुठभेड़, सैन्यकर्मी भी घायल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को एक मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने लश्कर व हिजबुल मुजाहिदीन (हिज्ब) के तीन आतंकियों को मार गिराया। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है। मुठभेड़ में एक सैन्यकर्मी घायल हो गया। इससे पूर्व 8 अक्टूबर को सुरक्षाबलों ने अवंतीपोर में लश्कर आतंकी उफैद को एक अन्य साथी के साथ मार गिराया था।

बुधवार को मारे गए आतंकियों में बीजबेहाड़ा का नसीर और जाहिद अहमद तथा कुलगाम के आकिब अहमद शेख के तौर पर हुई है। नसीर और आकिब का संबंध लश्कर ए तैयबा से था, जबकि जाहिद हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था। तीनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मंगलवार आधी रात के बाद जानकारी मिली थी कि लश्कर और हिजबुल के आतंकियों का एक दल बिजबेहाड़ा के पास कहीं छिपा हुआ है और बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। राज्य पुलिस विशेष अभियान दल (एसओजी) के जवानों ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मोर्चा संभालता जवान। एएनआइ

बुधवार सुबह करीब पांच बजे पजलपोरा क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और इसकी आड़ लेकर भागने का प्रयास किया। मुठभेड़ के दौरान घायल जवान को श्रीनगर स्थित सेना के बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है। सुरक्षाबलों ने घेराबंदी जारी रखी और सुबह आठ बजे एक आतंकी को मार गिराया। अन्य दो आतंकी बाद में मारे गए।

जबरन बंद कराने में शामिल थे : अनंतनाग के एसएसपी अल्ताफ खान ने कहा कि तीनों आतंकी अनंतनाग, कुलगाम और बीजबेहाड़ा व साथ सटे इलाकों में जबरन बंद कराने के अलावा पंच-सरपंचों और व्यापारियों को धमकाने की विभिन्न वारदातों में भी लिप्त थे। इनका मारा जाना सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता है।

भू-अधिग्रहण कानून का मामला

संविधान पीठ से न्यायाधीश को हटाने की कोशिश 'बेंच हंटिंग' के सिवा कुछ नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ से एक जज को हटाने की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा, यह 'बेंच हंटिंग' की चाल के अलावा और कुछ नहीं है और अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो यह संस्था को नष्ट कर देगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर पांच सदस्यीय संविधान पीठ से जस्टिस अरुण मिश्र को हटाने की पक्षकारों की यह मांग मान ली जाती है तो यह 'इतिहास का सबसे काला अध्याय' होगा, क्योंकि न्यायपालिका को वश में करने के लिए हमले हो रहे हैं। संविधान पीठ ने कहा कि जज को हटाने की मांग की याचिका पर वह 23 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। ज्ञात हो, जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण, एमआर शाह और एस. रवींद्र भट्ट शामिल हैं।

जस्टिस मिश्र ने किसान संगठनों के वकील श्याम दीवान से कहा, 'यह बेंच हंटिंग के सिवा कुछ नहीं है। आप अपनी पसंद के व्यक्ति को पीठ में लाना चाहते हैं। अगर हम आपके अनुरोध को मंजूर करते हैं और जज को हटाने के लिए आपकी सोच को स्वीकार करते हैं, इससे संस्था नष्ट हो जाएगी। यह गंभीर मामला है और इतिहास इसका आकलन करेगा कि इस कोशिश में यहां तक कि वरिष्ठ वकील भी शामिल थे।'

इस पर दीवान ने कहा, एक जज को पूर्वाग्रह की किसी भी उचित आशंका से बचना चाहिए, अन्यथा जनता का विश्वास कम होगा। जस्टिस मिश्र ने कहा, उन्हें हटाने की मांग प्रायोजित है। कुछ ताकतें अदालत को खास तरीके से काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही हैं। ये ताकतें ही उन्हें पीठ में बने रहने के लिए मजबूर कर रही हैं। अन्यथा वह खुद को पीठ से अलग कर लेते। बता दें कि जस्टिस मिश्र ने पिछले साल के दिए फैसले में कहा था कि अगर सरकारी एजेंसियों ने भूमि का अधिग्रहण किया है तो उसे इस आधार पर रद नहीं किया जा सकता है कि भू स्वामियों द्वारा पांच साल के अंदर मुआवजा स्वीकार नहीं किया गया है।

पहली बार

संसदीय इतिहास में संभवत : पहली बार आया ऐसा मौका, महिला सशक्तीकरण से जुड़ी स्थायी समिति की अध्यक्ष समेत सभी सदस्य महिलाएं

संसदीय समिति में आधी आबादी का पूर्ण परचम

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- भारतीय जनता पार्टी की युवा सांसद हिना गावित बनीं 30 सदस्यीय समिति की अध्यक्ष
- 16वीं लोस में महिला सशक्तीकरण संबंधी समिति में दो और 15वीं में पांच सदस्य थे पुरुष

प्रतीकात्मक

लोकसभा में महिलाओं के रिकार्ड संख्या में चुनाव जीतकर पहुंचने का ही यह असर कहा जाएगा कि संसदीय इतिहास में संभवतः पहली बार संसद की एक स्थायी समिति की सभी सदस्य महिला सांसद ही हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित संसद की स्थायी समिति की सभी 30 सदस्य महिलाए हैं। लोकसभा में भाजपा की युवा सदस्य डॉ. हिना गावित को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।

संसद में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने संबंधी विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद भी भले ही वर्षों से लोकसभा की मंजूरी का इंतजार कर रहा हो मगर महिला सशक्तीकरण की संसदीय स्थायी समिति में जरूर आधी आबादी का परचम लहरा गया है क्योंकि इसमें कोई पुरूष सांसद नहीं है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल के तहत भारत में भी आधी आबादी को बराबर के पायदान पर लाने की दिशा में कदम उठाने के मकसद से 1997 में संसद की महिला सशक्तीकरण समिति का गठन हुआ। तब से यह पहला मौका है जब इसकी सभी 30 सदस्य महिलाएं हैं जिनमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा की सदस्य हैं। समिति की अध्यक्ष गावित के अलावा लोकसभा सदस्यों में भावना गवली, लॉकेट चटर्जी, कनीमोरी, ज्योत्सना चरणदास, अन्नपूर्णा देवी और संगीता सिंह देव प्रमुख हैं। वहीं राज्यसभा सदस्यों में सपा की जया बच्चन, राजद की मीसा भारती, जदयू की परवीन कहकशां, भाजपा की सरोज पांडेय और एनसीपी की वंदना चौहान आदि शामिल हैं।

16वीं लोकसभा में इस समिति की 30 सदस्यों में 28 सदस्य महिलाएं थीं। पुरुष सदस्यों में राज्यसभा के दो सदस्य प्रभात झा और अनुभव मोहंती ही शामिल थे। वहीं 15वीं लोकसभा में इस संसदीय समिति के 24 सदस्यों में केवल पांच ही पुरुष सदस्य थे। लोकसभा से 13 महिला सदस्यों के साथ तब वामपंथी दिग्गज गुरूदास दासगुप्ता, सिद्धांत मोहपात्रा और राजू शेट्टी और राज्यसभा से डॉ. सी पी ठाकुर और अंबेथ राजन इस समिति के सदस्य थे।

संसदीय स्थायी समिति में पूर्ण रूप से महिलाओं के होने का सीधा ताल्लुक संसद में उनकी बढ़ी भागीदारी से भी जुड़ा है। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर इस समय महिला सांसदों की कुल संख्या 104 है। 1952 के पहले चुनाव से लेकर अब तक 17वीं लोकसभा में ही सबसे ज्यादा 78 महिलाएं चुनकर आई हैं। वहीं राज्यसभा के मौजूदा 240 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या 26 है। 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 64 थी तो 15वीं में इनकी संख्या 52 रही थी।

दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा 'बहुत खराब' की श्रेणी में पहुंची

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर के शहरों की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। पिछले दो दिनों में यहां वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है और प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इसमें गाजियाबाद का हाल सबसे ज्यादा खराब है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर इंडेक्स के मुताबिक, बुधवार को गाजियाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर 339 रहा, जबकि मंगलवार को 308 था। इसी तरह मंगलवार को दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद में प्रदूषण खराब श्रेणी में था, जो बुधवार को बहुत खराब श्रेणी में चला गया। आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने की आशंका है।

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिशा से हवा पहुंची, जिसकी रफ्तार चार से पांच किलोमीटर प्रति घंटा रही। उत्तर प्रदेश में फसलीय अवशेष जलाए जाने के कारण यहां से आ रही हवा के साथ प्रदूषक कण भी दिल्ली आ रहे हैं। यहां हवा की गति कम होने पर प्रदूषक कण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। आने वाले दिनों में हवा की दिशा में परिवर्तन आ सकता है, जिसमें उत्तर पश्चिमी दिशा से दिल्ली की तरफ हवा दस्तक देगी। उस समय पंजाब और हरियाणा में फसलीय अवशेष जलने से स्थिति और भी खतरनाक होने की आशंका है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर (एयर इंडेक्स के मुताबिक)

शहर	मंगलवार	बुधवार
नोएडा	297	326
ग्रेटर नोएडा	302	314
दिल्ली	270	304
फरीदाबाद	293	300
गुरुग्राम	240	287